प्रेस नोट–112/2026
दिनांक 23.02.2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद रामपुर/थाना सिविल लाइन

- **25–25 हजार रूपये के 02 पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 01 मोटर साइकिल**
- **02 अवैध तमंचा विभिन्न बोर मय जीवित कारतूस बरामद**

दिनांक 23.02.2026 को थाना सिविल लाइन पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर आगापुर विजईया लिंक रोड अण्डरपास के नीचे से 02 पुरस्कार घोषित अभियुक्तों 1–रिजवान 2–शाजिद को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से चोरी की 01 मोटर साइकिल, 02 अवैध तमंचा विभिन्न बोर मय जीवित कारतूस बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जो गैंगेस्टर एक्ट के अभियोग में जनपद कुशीनगर से वांछित चल रहे थे, जिनकी गिरफ्तारी हेतु जनपद कुशीनगर से 25–25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना सिविल लाइन पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–रिजवान निवासी नज्जूपुरा थाना टाण्डा जनपद रामपुर।

2–शाजिद निवासी मो0 नालापार काशीपुरा थाना गंज जनपद रामपुर।

बरामदगी

1–चोरी की 01 मोटर साइकिल।

2–02 अवैध तमंचा विभिन्न बोर मय जीवित कारतूस।

जनपद रामपुर/थाना शाहबाद

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय खोखा कारतूस बरामद**

दिनांक 22.02.2026 को थाना शाहाबाद पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर न्यू लाइफ केयर नशा मुक्ति–केन्द्र काशीपुर रोड के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त

महफूज को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय खोखा कारतूस बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद रामपुर, मुरादाबाद के विभिन्न थानो में चोरी, गैंगेस्टर एक्ट, एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 13 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना शाहबाद पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना शाहबाद पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—महफूज निवासी नालापार कस्बा व थाना शाहबाद जनपद रामपुर।

बरामदगी

1—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय खोखा कारतूस।

जनपद कन्नौज/थाना तालग्राम

- **लूट की घटना का अनावरण**
- **05 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 12 लाख रूपये कीमत का लूट का सामान**
- **01 आटो**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस**
- **घटना में प्रयुक्त 02 मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनांक 23.02.2026 को थाना तालग्राम व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना तालग्राम क्षेत्रान्तर्गत चेकिंग के दौरान 05 अभियुक्तों 1—वाशिद 2—विक्की उर्फ विशाल 3—सादाब 4—शीतल 5—योगेश उर्फ विनय को गिरफ्तार कर लूट की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 12 लाख रूपये कीमत का लूट का सामान, 01 आटो, 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस, घटना में प्रयुक्त 02 मोटर साइकिल आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 28.01.2026 को थाना तालग्राम क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना तालग्राम पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद सामान आदि उक्त घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना तालग्राम पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—वाशिद निवासी ग्राम ढपलपुर भोजपुर जनपद फतेहगढ़।

2—विक्की उर्फ विशाल निवासी लेनगांव थाना कमालगंज जनपद फतेहगढ़।

3—सादाब निवासी नगला खेम रैगाई थाना कमालगंज जनपद फतेहगढ़।

4—शीतल निवासी नगला खेम रैगाई थाना कमालगंज जनपद फतेहगढ़।

5—योगेश उर्फ विनय निवासी पिथुपुर मेंहदिया थाना कमालगंज जनपद फतेहगढ़।

बरामदगी

1—लगभग 12 लाख रूपये कीमत का लूट का सामान।

2—01 आटो।

3—02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस।

4—घटना में प्रयुक्त 02 मोटर साइकिल आदि।

कमिश्नरेट लखनऊ/थाना मड़ियांव

- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 18 लाख रूपये कीमत की चोरी के पीली धातु (100 ग्राम)—सफेद धातु (01 किलोग्राम) के आभूषण**
- **चोरी के 08 हजार 800 रूपये नगद, 02 मोबाइल फोन**
- **चोरी की 01 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 23.02.2026 को थाना मड़ियांव व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर मड़ियांव पुल के नीचे से 02 अभियुक्तों 1—सोनू उर्फ बोगा

2–सुन्दर लाल को गिरफ्तार कर चोरी की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 18 लाख रूपये कीमत की चोरी के पीली धातु (100 ग्राम)–सफेद धातु (01 किलोग्राम) के आभूषण, चोरी के 08 हजार 800 रूपये नगद, 02 मोबाइल फोन, चोरी की 01 मोटर साइकिल बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 16.02.2026 को थाना मड़ियांव क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना मड़ियांव पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण, मोटर साइकिल आदि चोरी की घटनाओं से सम्बन्धित है। गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त सोनू के विरूद्ध कमिश्नरेट लखनऊ के विभिन्न थानो में चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 08 अभियोग, अभियुक्त सुन्दर लाल के विरूद्ध कमिश्नरेट लखनऊ के विभिन्न थानो में चोरी, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 08 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना मड़ियांव पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–सोनू उर्फ बोगा निवासी अन्ना मार्केट थाना मड़ियांव कमिश्नरेट लखनऊ, मूलपता गणरूआ पुरवा थाना सदर कोतवाली जनपद खीरी।

2–सुन्दर लाल निवासी सेमरा गौढी अजीजनगर थाना मड़ियांव कमिश्नरेट लखनऊ, मूलपता सुल्तानपुर थाना इटौंजा कमिश्नरेट लखनऊ।

बरामदगी

1–लगभग 18 लाख रूपये कीमत की चोरी के पीली धातु (100 ग्राम)–सफेद धातु (01 किलोग्राम) के आभूषण।

2–चोरी के 08 हजार 800 रूपये नगद, 02 मोबाइल फोन।

3–चोरी की 01 मोटर साइकिल।

जनपद मुजफ्फरनगर/थाना बुढ़ाना

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 किलोग्राम अवैध अफीम बरामद**

दिनांक 23.02.2026 को थाना बुढ़ाना पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर रजवाहे से कांधला रोड की ओर विज्ञाना मार्ग से 02 अभियुक्तों 1–नासिर 2–नयाब को

गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 01 किलोग्राम अवैध अफीम बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना बुढ़ाना पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—नासिर निवासी ग्राम बडकता थाना बुढ़ाना जनपद मुजफ्फरनगर।

2—नयाब निवासी ग्राम बडकता थाना बुढ़ाना जनपद मुजफ्फरनगर।

बरामदगी

1—01 किलोग्राम अवैध अफीम।

- **जनपद सिद्धार्थनगर/थाना शोहरतगढ़ (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तो को 20—20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 65—65 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद सिद्धार्थनगर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा थाना शोहरतगढ़ पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363/366 व 376डी भादवि सपठित धारा 3/4 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त 1—शकील 2—शाकिर उर्फ शकीरा उर्फ शकीर को 20—20 वर्ष के कठोर कारावास व 65—65 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

——————